

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल
// अ० दे श //

भोपाल, दिनांक ०३/०९/२०२१

क्रमांक: १७८० /१२३/२०२१/ई/चार, श्री मिलिंद वाईकर, सचिव, कर्मचारी आयोग मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक २४.०६.२०२१ को कर्मचारी आयोग के सचिव पद से त्यागपत्र प्रस्तुत किया है। सचिव पद रिक्त होने के कारण आयोग के दैनंदिन कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अतः राज्य शासन द्वारा आयोग के सचिव पद की पूर्णकालिक पूर्ति होने तक कार्य सुविधा की दृष्टि से आयोग के दैनंदिन कार्य संपादन हेतु वित्त विभाग में पदस्थ उप सचिव नियम को सचिव, कर्मचारी आयोग को आवंटित कार्य संपादन हेतु अस्थाई रूपान्धिकृत किया जाता है।

२/ प्रश्नासकीय व्यवस्था के दृष्टिगत श्री लक्ष्मीनारायण अवर सचिव कर्मचारी आयोग (सहायक संचालक, मध्यप्रदेश वित्त सेवा) को स्थानान्तरित करते हुए सहायक संचालक, संचालनालय, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है एवं श्री विवेक कुमार घारू, अवर सचिव वित्त विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अपने कार्यों के साथ-साथ अवर सचिव, कर्मचारी आयोग के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मनोज कुमार जैन)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक ०३/०९/२०२१

पृ. क्रमांक: १७८१ /१२३/२०२१/ई/चार,

प्रतिलिपि:-

१. माननीय मंत्रीजी के विशेष सहायक,
 २. प्रमुख सचिव वित्त के निज सहायक,
 ३. आयुक्त, कोष एवं लेखा,
 ४. सचिव, कर्मचारी आयोग गोमांतिका परिसर भोपाल,
 ५. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल,
 ६. उप सचिव नियम शाखा, वित्त विभाग, भोपाल,
 ७. अठर सचिव, राज्य कर्मचारी आयोग, गोमांतिका परिसर भोपाल,
 ८. श्री विवेक कुमार घारू, अवर सचिव वित्त,
 ९. विरिष्ठ कोषालय अधिकारी, बल्लभ भवन कोषालय भोपाल,
 १०. श्री लक्ष्मीनारायण, अवर सचिव, कर्मचारी आयोग, गोमांतिका परिसर भोपाल,
- की ओर रुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अठर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग